Department of Anatomy

All India Institute of Medical Sciences Raipur - 492099 - Chhattisgarh



WILL FORM FOR BODY DONATION AFTER DEATH

मृत्योपरांत शरीर दान घोषणा पत्र

Mr/Mrs/Miss श्री / श्रीमती / कु	घोषणाकर्ता का फोट
Age उम्र :	Affix one passport siz
Address पता :	
	additional photo.
Religion धर्म :	एक पासपोर्ट फोटो लगायें
Phone फोन नं :	एक अतिरिक्त फोटो भेजें।
Email ईमेल :	
Education शिक्षा :	
Employment व्यवसायः	
Past medical history पूर्व चिकित्सा विवरण :	This one passion size photo here and send one additional photo. एक पासलोर्ट कोटो लगाये एवं एक अविरिक्त कोटो नेजों। ! I heirs, beloved, relatives and friends present at the time of my demise, I
issection, research or any other essential medical purposes. रपष्ट एवं लिखित रुप से घोषित करता हूँ कि मेरे सभी वारिसान, रिश्तेदार वं मित्र जो मेरे मृत्यु के समय उपस्थित हो, यह जान लें कि मेरी मृत्यु के पश्चात मृत शरीर, अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान रायपुर - 492099 -	
छत्तासगढ़ का दान हाना है। में यह मा घा।षत करता हूं कि मर आपत्ति नहीं हैं।	्रमृत शरीर का विच्छदन, शांघ एवं अन्य चिकित्सा आवश्यकताओं में उपयोग होने पर मुझ
Will form signed on घोषणा पत्र हस्ताक्षर दिनॉक	Signature of Pledger / हस्ताक्षर घोषणाकर्ता
Witness साक्षी No. 1(Next of Kin)	Witness साक्षी No. 2
Name नाम	Name नाम
Address पता	Address पता
Relationship रिश्ता:	Relationship रिश्ता:
Phone फोन:	Phone फोन:
Email ईमेल:	Email ईमेल:
Signature हस्ताक्षर	Signature हस्ताक्षर

Note: Certificate needed with the death body of donor:

- 1. Death Certificate of natural death signed by a Registered Medical Practitioner / Hospital
- 2. Signed consent form from next of kin.

(After death, the death body along with the death certificate and consent form from next kin should be sent to the Department of Anatomy, All India Institute of Medical Sciences, Raipur within 6 hour from the death. In case of delay the death body should be kept in mortuary / ice-blocks. In need, the Department of Anatomy can provide vehicle to transfer the death body within the extent of Chhattisgarh state. मृत्यु के पश्चात मृत-शरीर मृत्यु प्रमाण पत्र एवं नजदिकी रिश्तेदार के सहमति पत्र के साथ छः घंटे भीतर शरीर रचना विभाग, अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, रायपुर को भिजवाना चाहिए। भेजने में किसी प्रकार विलम्ब की स्थिति में मृत-शरीर को शवगृह या बर्फ की सिल्ली पर रखना चाहिए। आवश्यक होने पर शरीर रचना विभाग छत्तीसगढ. राज्य के सीमांर्गत मृत-शरीर के स्थानांतरण के लिए गाडी उपलब्ध करा सकती है।)